शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 13 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 27 – 03 अप्रैल 2023 मूल्य पांच रूपए

क्या हिमाचल सरकार 1975 के आपातकाल को सही मानती है

✔ लोकतंत्र प्रहरी सम्मान निधि वापस लेने से उठी चर्चा
✔ शान्ता कुमार ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने पिछले सरकार द्वारा शुरू की गयी लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को यह कहकर बन्द कर दिया कि यह अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिये लायी गयी थी। यह सम्मान विधानसभा में एक एक्ट पारित करके दिया गया था और अब इसे निरस्त करने के लिये भी एक्ट ही लाया गया है। सरकार के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रियाएं उभरी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शान्ता कुमार ने तो सरकार को पत्र लिखकर यह कहा है कि आप सम्मान मत दो लेकिन गाली तो मत दो। स्मारणीय है कि आज से 48 वर्ष पूर्व इस देश ने आपातकाल का दौर देखा और भोगा है। आज जो पीढ़ी 70 और उससे ऊपर की है उसने आपातकाल भोगा है। जबकि जो पीढ़ी आज प्रशासन में है वह उस समय मात्र दस बारह वर्ष की रही होगी। जो लोग आज संसद और विधानसभाओं में हैं उनमें से भी अधिकांश वह हैं जिन्होंने आपातकाल भोगा नहीं है। प्रदेश विधानसभा के अधिकांश सदस्य भी ऐसे ही है जिन्हें आपातकाल का व्यक्तिगत अनुभव नहीं है।

आपातकाल ठीक लगाया गया था या नहीं इस पर राय अलग – अलग हो सकती है। लेकिन यह सभी को मानना पड़ेगा कि तब लोकतांत्रिक अधिकार नहीं के बराबर रह गये थे। सत्ता से भिन्न राय रखने वालों को जेलों में डाल दिया गया था। विपक्ष के हजारों लोग जेलों में डाल दिये गये थे। कुछ की तो जेलों में ही मौत हो गयी थी। हिमाचल में ही ऊना के विद्यासागर जोशी की मौत जेल में हुई है। 19 माह तक लोग जेलों में रहे हैं। गैर कांग्रेसी दलों के अधिकांश लोग जेलों में डाल दिये गये थे। आपातकाल तब लगा था जब स्व.इंदिरा गांधी स्व. राजनारायण से चुनावी याचिका हार गई थी और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले पर उन्हें पद त्याग करना था। लेकिन उन्होंने पद त्याग का रास्ता न लेकर आपातकाल लगाने का फैसला ले लिया। संसद का कार्यकाल पांच वर्ष से बढ़ाकर छः वर्ष कर दिया था। इस कदम का विरोध करने वाला हर आदमी जेल में डाल दिया गया था। नसबन्दी ने गांव तक हर घर को हिला कर रख दिया था। मौलिक अधिकार एक तरह से स्थगित कर दिये गये थे। जो राजनीतिक स्थितियां उस समय आपातकाल और उससे पहले देश में निर्मित हुई थी आज भी वही परिस्थितियां खड़ी होती जा रही हैं। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं दोनों का अस्तित्व खतरे में है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के नाम सारी जांच एजेंसियां लगा दी गयी हैं। एक तरह से अघोषित आपातकाल देश में चल रहा है। सरकार से यह असहमति जताना सरकार का विरोध करना माना जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ आया फैसला और उसमें अपनाई गई प्रक्रिया इसका प्रमाण बन गयी है। इसी ने सारे विपक्ष को कांग्रेस के साथ खड़ा होने पर ला दिया है। लेकिन अभी तक आपातकाल घोषित नहीं है। लोकतंत्र बचाओ सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन आपातकाल से एक कदम अभी पीछे हैं। ऐसे में जब सुक्खू सरकार लोकतंत्र प्रहरी सम्मान को रद्द कर रही है तब विपक्ष को अनचाहे ही आपातकाल पर पुरानी यादें और अनुभव फिर से याद करके लोगों के साथ सांझा करने का अवसर दे दिया है। यह सम्मान उन लोगों को दिया गया था जो उन्नीस माह जेल में रहे थे। जिन्होंने आपातकाल का विरोध करके लोकतंत्र को जिन्दा रखने के लिए अपने आप को दांव पर लगा दिया था। इन लोगों ने लोकतंत्र की सही मायनों में रक्षा की है। इन को दिया गया सम्मान नीतिगत तौर पर कैसे गलत हो सकता है। व्यक्तिगत मामलों में पात्रता पर सवाल उठ सकते हैं लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में नीति को ही नकारना आज अपने में ही पक्ष को कमजोर कर देता है। क्योंकि आज भी मुद्दा लोकतंत्र बचाने का है। जो लोकतंत्र बचाने के लिये अपना सब कुछ दाव पर लगा चुके हैं उन्हें यह सम्मान दिया गया था। आज जब फिर लोकतंत्र बचाने का प्रश्न खड़ा हो गया है तब यह सम्मान वापस लेना नीतिगत तौर पर अपने ही पक्ष को कमजोर करता है। क्योंकि इससे बहस का रुख ही बदल जायेगा। विपक्ष इस परिदृश्य में आसानी से लोकतंत्र बचाओ की जगह राहूल बचाओ की ओर मोड़ देगा। विश्लेषकों की नजर में वर्तमान परिस्थितियों में यह फैसला राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को कमजोर कर सकता है। क्योंकि इससे यही संदेश जायेगा कि हिमाचल सरकार आपातकाल की पक्षधर है।

इस वस्तुस्थिति में प्रदेश में राहुल के मुद्दे पर जन समर्थन जुटा पाना आसान नहीं होगा। पहले ही युवा कांग्रेस के सौ से अधिक पदाधिकारियों को उनके पदों से इसलिये हटा दिया गया कि वह दिल्ली की रैली में नहीं पहुंचे थे। कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने भी यह कहा है कि इन लोगों को न तो समय पर सूचना ही दी गयी और न ही उनके पास संसाधन थे। अब इस परिदृश्य में यह स्थिति और भी जटिल हो जायेगी।

यह है शान्ता कुमार की प्रतिक्रिया

पालमपुर - 31 मार्च 2023- हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि मुझे इस बात की जरा भी आशा नही थी कि हिमाचल प्रदेश की नई सरकार मेरे जैसे आपातकाल में जेल जाने वालों का इस प्रकार से अपमान करेंगी। सरकार द्वारा इस अपमानजनक व्यवहार से मैं बहुत अधिक आहत हुआ हूं। हम सब लोग देश की दूसरी आजादी की लड़ाई में जेल गये थे। विधान सभा में यह कहा गया कि पिछली सरकार ने हम चहेतों को पैंशन की खैरात दी है। उन्होंने कहा आज से 48 साल पहले 1975 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का एक जेल खाना बना दिया गया था। श्री जयप्रकाश नारायण, श्री मोरारजी देसाई और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लगभग 75 हजार लोगों को जेलों में डाल दिया था। कोई दलील अपील नही थी। यहां तक कि संविधान में दिया गया जीने का मूल अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। भारत के इतिहास का यह सबसे बड़ा काला अध्याय था।

उन्होंने कहा उस समय न तो कोई विदेशी आक्रमण हुआ था और न कोई भूचाल आया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाने पर श्रीमति इन्दिरा गांधी का चुनाव रदद कर दिया और चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। केवल और केवल एक नेता की कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को जेल खाना बना दिया।

शांता कुमार ने कहा हम सब किसी सम्मान या पैंशन के लिए जेल नही गये थे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए सिर पर कफन बांध कर उस युद्ध में हम कूदे थे। बहुत से जेलों में ही मर गये थे हमें चहेता कहना हम सबका और देश का बहुत बड़ा अपमान है।

उन्होंने कहा 48 साल पहले जेल में काटे 19 महीने की यातना बच्चों और परिवार को हुई कठिनाईओं के सारे घाव इस अपमान ने एक बार फिर ताजा कर दिये।

शांता कुमार ने कहा सरकार को हमारे साथ किये इस अन्याय के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। हमें कोई सम्मान नही चाहिए, पैंशन भी नही चाहिए परन्तु ऐसे हल्के शब्दो का उपयोग करके यह अपमान बहुत बड़ा अन्याय हैं

पर्यटकों एवं आम लोगों के लिए 23 अप्रैल से खुलेगा राष्ट्रपति निवास

शिमला/शैल। शिमला के मशोबरा के समीप स्थित 173 वर्ष पुराना राष्ट्रपति निवास 23 अप्रैल, 2023 से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अप्रैल

माह में शिमला प्रवास पर आ रही हैं और इस दौरान वह अधिकारिक रूप से इस ऐतिहासिक धरोहर को आम जनता के लिए खोलने की घोषणा करेंगी।

यह जानकारी राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव, डॉ.राकेश गुप्ता ने मशोबरा में इस संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

उन्होंने कहा कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक निर्धारित प्रवेश शुल्क पर यहां भ्रमण कर सकेंगे। भारतीय नागरिकों के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति और विदेशी नागरिकों के लिए 250 रुपये प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति निवास सोमवार, राजपत्रित अवकाश एवं राष्ट्रपति के आगमन के दौरान आम जनता के लिए बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए 30 जून, 2023 तक प्रवेश निःशुल्क रखा गया है।

उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए यह ऐतिहासिक भवन, राष्ट्रपति के जीवन से जुड़ी विभिन्न स्मृतियां, डाइनिंग हॉल और अन्य कलाकृतियां मुख्य आकर्षण का केन्द्र रहती हैं। इसके अतिरिक्त हरियाली से भरपूर यहां के बागीचे, टयूलिप और अन्य सजावटी फूल इसकी सुन्दरता में और अधिक वृद्धि करते हैं।

राष्ट्रपति निवास स्थित नेचर ट्रेल एवं बागीचों को भी पर्यटकों और आगन्तुकों के लिए खुला रखा जाएगा। राष्ट्रपति निवास के भ्रमण के लिए आम लोग 15 अप्रैल, 2023 से राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in. पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इससे पहले राष्ट्रपति निवास नई दिल्ली और हैदराबाद को भी आम लोगों के लिए खोला जा चुका है और वहां भारी संख्या में लोग परिसर में भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के दृष्टिगत अब मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास को भी आम लोगों के लिए खुला रखा जाएगा।

राष्ट्रपति निवास में पर्यटकों की सुविधा के लिए क्लॉक रूम, दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए रैम्प, कैफे, स्मारिका कक्ष, विश्राम स्थल, गाइड सहित प्राथमिक उपचार सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

बैठक में राष्ट्रपति सचिवालय की उप सचिव स्वाति शाही, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, सामान्य प्रशासन विभाग शिमला के संयुक्त सचिव प्रवीण टाक सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे।

भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के चार परिवीक्षाधीन

अधिकारियों ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने उन्हें उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने हिमाचल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की। अधिकारियों ने प्रशिक्षण के दौरान के अपने अनुभवों को राज्यपाल के साथ साझा किए।

राज्यपाल ने अधिकारियों से प्रदेश में नशे और मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने का बीड़ा उठाने तथा इसके लिए जन जागरूकता की भी अपील की। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते नशे के खिलाफ कारवाई नहीं की गई तो स्थितियां गंभीर हो सकती हैं।

उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य कि बात है कि उन्हें जन सेवा का अवसर मिला है। उन्होंने अधिकारियों को सर्मपण भाव के साथ कर्तव्यों के निर्वहन का परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है, इसलिए उनका लक्ष्य इसे और अधिक प्रगतिशील प्रदेश बनाना होना चाहिए।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, एवं पुलिस अधीक्षक (कानून व्यवस्था) सृष्टि पाण्डेय भी उपस्थित थे।

परिवीक्षाधीन अधिकारियों में उत्तर प्रदेश की अदिति, आंध्र प्रदेश के साईं दत्तात्रेय वर्मा, कर्नाटक के सचिन और हिमाचल के ब्युम बिंदल शामिल थे।

नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति ने नेपाल कृषि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को संबोधित किया

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने नेपाल

के चितवन स्थित कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालय में तीसरा दीक्षांत भाषण दिया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल ने की, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं।

अपने दीक्षांत भाषण में प्रो. चंदेल ने सहयोग बढ़ाने और एक-दूसरे से सीख कर क्षमता बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने भारत और नेपाल की सदियों पुरानी समान संस्कृति और परंपराओं को याद किया और कहा की दोनों राष्ट्र कई मोर्चों पर एक समान हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र है और इस प्रकार यहां विभिन्न फसलें उगाई जा सकती हैं।

एग्रोइकोलॉजी के बारे में बात करते हुए प्रोफेसर चंदेल ने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण साझा किया और बताया कि कैसे राज्य ने प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। उन्होंने स्नातकों से छोटे भूमिधारकों के लिए प्रौद्योगिकियों के मानकीकरण के लिए काम करने को कहा क्योंकि वे ही दुनिया का भरण-पोषण कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को किसान की आय बढ़ाने के लिए कृषि उपज के मूल्यवर्धन पर काम करने की भी सलाह दी और मिलेटस के महत्व पर भी बात की। प्रोफेसर चंदेल ने कहा कि भारत और नेपाल जैसे देश भी समृद्ध हिमालयी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसे बढ़ावा देने और संरक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

दीक्षांत समारोह के दौरान कृषि, वानिकी और पशु विज्ञान/पशु चिकित्सा/मत्स्यिकी संकायों के 1,000 से अधिक स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट विद्वानों ने अपनी डिग्री प्राप्त की।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को 'डिजिटल नवाचारों में प्रगतिशील राज्य' का सराहना पुरस्कार

शिमला/शैल। प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग को नई दिल्ली में आयोजित कम्प्यूटर सोसाईटी ऑफ इंडिया के विशेष रूचि समूह कार्यक्रम में 'डिजिटल नवाचारों में प्रगतिशील राज्य' का सराहना पुरस्कार प्रदान किया गया है। विभाग के अतिरिक्त निदेशक राजीव शर्मा ने विशेष कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्राप्त किया।

उन्होंने बताया कि राज्य में आईटी और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा शुरू की गई पहल के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। डिजिटल उपकरणों के उपयोग से शासन को बेहतर और सुगम बनाने में सहायता मिल रही है और इससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों में भी तेजी आयी है।

उन्होंने बताया कि हिमाचल ई-गवर्नेंस और आईटी उपकरणों के उपयोग में देश का अग्रणी राज्य है। विभाग ने बेहतर नागरिक सेवाओं, ई-गवर्नेंस और डिजिटल आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए हैं और इससे संपूर्ण शासन प्रणाली में पादर्शिता और दक्षता भी सुनिश्चित हुई है। यह पुरस्कार ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकार से नागरिक (जी2सी) तथा सरकार से व्यापार (जी2बी) सेवाओं सहित प्रदेश में सुशासन की स्थापना में किए गए प्रशंसनीय एवं सफल प्रयासों को रेखांकित करता है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभाग की 'गरूड़' (गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्ज़), हिमाचल ऑनलाइन सेवा, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प नागरिक हेल्पलाइन, ई-ऑफिस, डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण), हिमस्वान (हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क), हिमाचल प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर, ई-केबिनेट, लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम सहित कई अन्य पहल इसमें शामिल है।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने चार फर्जी फर्म चिन्हित की

शिमला/शैल। आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, युनूस ने बताया कि विभाग द्वारा फर्जी कम्पनियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत विभाग की आर्थिक सतर्कता इकाई ने चार फर्जी फर्मों (प्रतिष्ठानों) की पहचान की है। आधार कार्ड विवरण के अनुसार इन फर्मों का स्वामित्व गुजरात से संबंधित तीन व्यक्तियों के पास है। इन तीन व्यक्तियों द्वारा देशभर में 184 पंजीकरणों के लिए आवेदन किया गया था जिनमें से केवल 31 को स्वीकृति प्राप्त हुई। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने 10 पंजीकरणों के लिए आवेदन किया था, लेकिन विभाग द्वारा प्रदेश में सभी पंजीकरणों को अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर प्राधिकरण से वे हिमाचल प्रदेश में चार पंजीकरण स्वीकृत करवाने में सफल रहे।

उन्होंने बताया कि इन प्रतिष्ठानों के आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण के बाद यह पाया गया कि यह प्रतिष्ठान संदिग्ध लेन-देन कर रहे हैं। इनके द्वारा कारोबार के लिए दिए गए पते के संबंध में पूछताछ की गई और पाया गया कि राज्य में दिए गए पते पर कोई भी फर्म उपलब्ध नहीं थी। इन लोगों ने 167 करोड़ रुपए के कारोबार का खुलासा किया है और पूरे भारत में 27 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया है। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने 56 करोड़ रुपये का कारोबार दिखाया है और 9.43 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया गया।

उन्होंने बताया कि विभाग ने तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस मामले को केंद्रीय अधिकारियों के समक्ष उठाया है क्योंकि यह फर्म केंद्रीय अधिकार क्षेत्र में हैं और उनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। केंद्रीय अधिकारियों से इन फर्जी संस्थाओं के खिलाफ तत्काल कारवाई करने का अनुरोध किया गया है।

आबकारी विभाग द्वारा राजस्व एकत्रिकरण में 19 प्रतिशत की वृद्धि

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 में 5130 करोड़ रुपये के राजस्व एकत्रित करने के लक्ष्य को पार कर इस अवधि के दौरान 19 प्रतिशत वृद्धि के साथ 5343 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो 2021-22 की तुलना में 846 करोड़ अधिक है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष जीएसटी संग्रह में यह शानदार वृद्धि विभाग द्वारा कड़ी सर्तकता और कर अधिकारियों की कार्यकुशलता का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि रिर्टन फाईलिंग में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा जांच एवं निगरानी में दक्षता से 13 लाख ई-वे बिल सत्यापित किए हैं। ई-वे बिल के सत्यापन से 8 करोड़ रुपये जुर्माने के तौर पर प्राप्त किए गए हैं। विभाग ने वर्ष के दौरान विभिन्न आयामों को पार करते हुए 400 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

उन्होंने कहा कि विभाग ने नियमों के अनुपालन में सख्त कारवाई सुनिश्चित की है। इन उपायों से रिटर्न फाइलिंग और रिटर्न जांच में सुधार हुआ है। राज्य मुख्यालय ने जीएसटी से जुड़े 257 करोड़ रुपये के 89 मामलों का पता लगाया है।

उन्होंने बताया कि विभाग अपने प्रदर्शन में और सुधार करने की दृष्टि से रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न की त्वरित जांच, जीएसटी ऑडिट को समय पर पूरा करने और कर अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए निरन्तर प्रयास करता रहेगा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा

मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री से विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर सारगर्भित चर्चा की।

बैठक के उपरांत पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल और पंजाब के मध्य सदैव मधुर संबंध रहे हैं और इन दोनों ही राज्यों की साझा सांस्कृतिक विरासत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में जलविद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस सहित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और शानन जलविद्युत परियोजना तथा पर्यटन की विभिन्न परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल उपकर के विषय में बैठक में पुनः कुछ भ्रांतियों का निवारण किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा लगाया जाने वाला जल उपकर, जल पर नहीं अपितु प्रदेश में कार्यरत जलविद्युत परियोजनाओं पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस जल उपकर से पंजाब तथा हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल उपकर सहित विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं के विषय में समुचित विचार-विमर्श के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव तथा ऊर्जा सचिव एवं पंजाब के समकक्ष अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति विभिन्न विषयों पर बातचीत कर मामलों को समयबद्ध निपटाएगी। समिति भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की परियोजनाओं पर भी चर्चा करेगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बैठक में शानन परियोजना के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गयी। 110 मेगावाट की शानन परियोजना कि 99 वर्ष की लीज वर्ष 2024 में समाप्त हो रही है। बैठक में इस परियोजना के भविष्य के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ श्री आनंदपुर साहिब और माता नैना देवी के मध्य रोप-वे के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के मुख्यमंत्री को हिमाचल आने का न्योता दिया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बैठक में जल उपकर एवं विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं सहित हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के विषय पर विस्तृत बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हिमाचल एवं पंजाब भविष्य में धार्मिक पर्यटन की विभिन्न साझा परियोजनाओं पर एक साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जल उपकर के विषय में हिमाचल के मुख्यमंत्री ने उन्हें विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर, भोरंज के विधायक सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार गोकुल बुटेल, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया तथा पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हिमाचल सराय व सदन चंडीगढ़ में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के चंडीगढ़ दौरे के दौरान हिमाचल छात्र संघ चंडीगढ़ (हिमसू) की अध्यक्षा मन्नत नैंटा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश से स्वास्थ्य लाभ के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में आने वाले मरीजों की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।

प्रतिनिधिमंडल ने मरीजों को हिमाचल सराय भवन सेक्टर 24 और हिमाचल सेवा सदन सेक्टर 25 में आ रहीं परेशानियों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने यहां सोलर ग्रिड सिस्टम लगाने, लम्बे समय के लिए रह रहे मरीजों को फीस में छूट देने, कैन्टीन और कमरों के रखरखाव और एयर कंडीशन की सुविधा के साथ मरीजों को भवनों से अस्पताल जाने के लिए नयी सोलर शटल बस एम्बुलेंस सेवा इत्यादि प्रदान करने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया।

उन्होंने मरीजों को इन भवनों से अस्पताल ले जाने के लिए नई सोलर शटल बस एम्बुलेंस सेवा देने जैसे विभिन्न मुद्दे भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखे।

मुख्यमंत्री ने हिमसू की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वस्त किया कि उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी इन भवनों का निरीक्षण करेंगे।

इस अवसर पर संघ के सदस्य सन्नी, राघव, क्षितिज, लविश, आर्यन सहित संघ के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार ने एक माह में वितरित की 1226 करोड़ रुपये की मुआवज़ा राशि

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में अधोसंरचना विकास आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनकर उभरा है। प्रदेश में विभिन्न राजमार्गों के विकास व विस्तार से राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा मिल रहा है।

विगत एक माह के दौरान प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत राजमार्गों के निर्माण एवं विस्तारीकरण के लिए भू-अधिग्रहण मुआवज़ा के रूप में लोगों को रिकॉर्ड धनराशि वितरित की गई है। इस अवधि के दौरान प्रदेश में 1226 करोड़ रुपये की धनराशि भूमि मुआवजा के रूप में प्रदान की गई है।

उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से इस अवधि के दौरान 593 करोड़ रुपये, उपायुक्त हमीरपुर द्वारा 182 करोड़ रुपये, उपायुक्त सोलन द्वारा 32 करोड़ रुपये, उपायुक्त मण्डी द्वारा 242 करोड़ रुपये, उपायुक्त शिमला द्वारा 170 करोड़ रुपये और उपायुक्त चम्बा द्वारा 7 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि लोगों को वितरित की गई है।

भू-अधिग्रहण मुआवज़ा राशि प्रदान करने के मामले लम्बे अरसे से लम्बित थे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन मामलों को निपटाने में तत्परता से कार्य करते हुए लोगों को राहत प्रदान की है। इससे प्रशासन में संवेदनशीलता के साथ समयबद्धता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है।

प्रदेश की आर्थिकी में एक माह के दौरान 1226 करोड़ रुपये की धनराशि आने से विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को भी संबल मिलेगा। इससे हितधारकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ-साथ राज्य में रोज़गार व स्वरोज़गार के जुड़े कार्यों को भी बल मिलेगा।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने के ध्येय के साथ किए जा रहे प्रयासों से विकास को गति मिली है। व्यवस्था परिवर्तन के साथ-साथ यह वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित हो रहा है।

व्यापार में सुगमता के लिए प्रदेश में स्थापित होगा निवेश ब्यूरो: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार निवेशकों को एकल छत सुविधा तंत्र के माध्यम से व्यापार में सुगमता और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब को कम करने के लिए प्रदेश में निवेश ब्यूरो की स्थापना कर रही है। यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रस्तावित निवेश ब्यूरो पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश ब्यूरो पुरानी एकल खिड़की प्रणाली के स्थान पर कार्य करेगा और इसे निवेश प्रस्तावों को स्वीकृतियां प्रदान करने की शक्तियां होंगी।

उन्होंने कहा कि इस निवेश ब्यूरो की स्थापना उद्योग विभाग के अंतर्गत की जाएगी और सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि निवेशकों को प्रदेश में उद्योग मित्र वातावरण प्रदान किया जा सके और उन्हें निवेश से संबंधित किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निवेशकों की सभी समस्याओं का त्वरित समाधान हो और कार्य में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए दण्डात्मक प्रावधान भी होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए ब्यूरो में दो समितियां होंगी, एक कार्यकारी समिति होगी जो निवेश ब्यूरो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के तहत दैनिक आधार पर निवेश मामलों की निगरानी करेगी जबकि दूसरी समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की जाएगी, जिसके माध्यम से निवेश प्रस्तावों की मंजूरी प्रदान की जाएगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि निवेश ब्यूरो की स्थापना का उद्देश्य अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाना है, जिससे निवेशकों को आवेदन करने के पश्चात तुरन्त अपना कार्य शुरू करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून में आवश्यक संशोधन करने के अलावा निवेश ब्यूरो को सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन, आईटी, सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और अन्य क्षेत्रों में निवेश की उम्मीद कर रही है। निवेश से न केवल राजस्व की वृद्धि होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होगें। उन्होंने कहा कि निवेश ब्यूरो की स्थापना से अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आने से जहां कारोबारियों के समय की बचत होगी, वहीं व्यापार करने की प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित होगी।

ग्रामीण सड़कों के बेहतर रख-रखाव के लिए केंद्र से हिमाचल को 37.76 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन: विक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के बेहतर रख-रखाव के लिए हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से 37.76 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया गया है। यह जानकारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी।

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 31 मार्च, 2023 को 37.76 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन अनुदान राशि स्वीकृत की है।

उन्होंने कहा राज्य में दोष-दायित्व अवधि (डीएलपी) के दौरान ई-मार्ग एवं डीएलपी पश्चात आवधिक नवीनीकरण के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव में बेहतर प्रदर्शन पर हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से यह वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि मरम्मत के उपरांत इन सड़कों के नमूनों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी अनुवीक्षक नियुक्त किए गए थे और राज्य ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया है।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि यह वित्तीय प्रोत्साहन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के गतिशील नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के प्रयासों तथा गत दो तिमाहियों में इसके लिए व्यय की जाने वाली राशि में बढ़ौतरी का सुपरिणाम है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को लगभग 4 वर्षों के उपरांत यह प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से प्राप्त इस वित्तीय प्रोत्साहन राशि का उपयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित एवं मरम्मत योग्य ग्रामीण सड़कों की मेटलिंग-टारिंग के कार्यों के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लोगों को दूर-दराज़ एवं दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही उनके दैनिक कार्यों में भी सुगमता सुनिश्चित होगी।

किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता।
-चाणक्य-

सम्पादकीय

क्या मोदी राहुल से डर रहे हैं

राहुल गांधी प्रकरण राष्ट्रीय प्रश्न बनता जा रहा है क्योंकि इस मुद्दे पर सारा विपक्ष एकजुट होकर कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र ने इस एक जूटता पर यहां तक कह दिया कि सारे चोर इक्कठे हो गये हैं। कुछ लोगों ने मेरी छवि बिगाड़ने के लिये सुपारी दे रखी है। प्रधानमंत्री की इन प्रतिक्रियाओं से ही स्पष्ट हो जाता है कि वह इस प्रकरण से पूरी तरह हिल गये हैं अन्यथा प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पूरी केंद्र सरकार और भाजपा इस मामले को अदालती मामला करार देकर इसका प्रभाव हलका करने का प्रयास कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इससे पूर्व भी कई सांसदों की सदस्यता अदालती फैसलों के कारण जा चुकी है तब तो इतना हंगामा खड़ा नहीं हुआ था फिर अब क्यों। इस तर्क का जवाब देने के लिये यह समझना आवश्यक है कि जिन अन्य सांसदों की सदस्यता गयी है उनके खिलाफ मानहानि के नहीं बल्कि आपराधिक मामले थे। राहुल के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था। फिर जिस अधिनियम के तहत राहुल की संसद सदस्यता रद्द की गयी है उसमें यह नहीं कहा गया है कि फैसला आने के बाद स्वत: ही सदस्यता चली जायेगी। फैसले से व्यक्ति अयोग्य हो जायेगा लेकिन उसके निष्कासन के लिये आदेश राष्ट्रपति से चाहिये और राष्ट्रपति ऐसा आदेश चुनाव आयोग की राय से पारित करेगा। लेकिन राहुल के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोकसभा सचिवालय में अपने ही स्तर पर यह सब कुछ कर दिया। इसी में राजनीतिक दबाव की गंध आती है। क्योंकि अगली कड़ी में आवास खाली करने का फरमान भी जारी हो गया।

राहुल के जिस ब्यान से मोदी समाज का अपमान हुआ है उससे ज्यादा अपमानजनक टिप्पणी राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य और भाजपा नेत्री खुशबू सुन्दर की 2018 में रही है। तब मोदी समाज का अपमान नहीं हुआ क्योंकि मोदी किसी समुदाय विशेष का घोतक नहीं है। मोदी उपनाम वाले सारे लोग एक ही समुदाय या जाति के नहीं हैं। हिन्दू, मुस्लिम, पारसी सभी इस उपनाम का उपयोग करते हैं। वैष्णव(बनिया) पोरबन्दर के खारवा (मछुआरे) और लोहाना (व्यवसायी) समुदाय में मोदी उपनाम लगाने वाले लोग हैं। ओ.बी. सी. की सूची में मोदी नाम का कोई समुदाय या जाती नहीं है। बिहार और राजस्थान की केन्द्रीय सूची में भी कोई मोदी नहीं है। गुजरात की केंद्रीय सूची में मोदी घांची है। यहां सब अब सामने आ चुका है। इस गणित में कौन सा मोदी कैसे आहत हुआ यह एक सामान्य समझ का विषय बन जाता है। आगे अदालतों में यह बहस का विषय बनेगा। इस मामले की सुनवाई एक महान में पूरी हो गयी। जबकि शायद फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इस गति से फैसले नही दे पाये हैं। इस तरह मामले के सारे तथ्यों को यदि एक साथ रखकर देखा जाये तो इसमें निश्चित रूप से राजनीति की गंध आती है। एक राजनीतिक गंध हर रोज स्पष्ट होती जा रही है। इसी से भाजपा लगातार यह सवाल कर रही है कि कांग्रेस ऊपरी अदालत में क्यों नहीं जा रही है। क्योंकि जैसे ही मामला अदालत में जायेगा तो तुरंत प्रभाव से अदालत में विचाराधीन की श्रेणी में आ जायेगा और सार्वजनिक बहस काफी हद तक रुक जायेगी यही भाजपा चाहती है।

इस समय नरेंद्र मोदी से राहुल का राजनीतिक कद बहुत बढ़ गया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल को जिस तरह से स्थापित कर दिया है उसकी बराबरी कर पाना शायद नरेंद्र मोदी के लिये कठिन हो गया है। क्योंकि इस प्रकरण के बाद वह सब कुछ एकदम फिर से चर्चा में आ गया है जो पिछले आठ वर्षों में देश में घटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश विदेश में दिये सारे ब्यान ताजा हो गये हैं। किस तरह से एक ही झटके में यह कह दिया गया कि 75 वर्षों में देश में हुआ ही कुछ नहीं है। किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर टिप्पणियां की गयी है वह सब चर्चा में आ गयी है। कैसे नेहरु, गांधी परिवार के खिलाफ एक तरह से जिहाद छेड़े गये। कैसे राहुल को पप्पू प्रचारित करने में अरबों रुपए खर्च किये गये। कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में यह सामने आ चुका है। यह बहस चल पड़ी है कि देश का अपमान नरेन्द्र मोदी ने किया है कि राहुल गांधी ने। क्योंकि सरकार लगातार अपने विरोधियों को येन केन प्रकारेण दबाने में लगी रही और आाम जनता को इसके बदले में जो महंगाई और बेरोजगारी मिली उसमें आज जनता को दोनों में तुलना करने पर खड़ा कर दिया है और उसमें मोदी कमजोर पढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अदानी प्रकरण पर सारी सरकार और भाजपा का अदानी के पक्ष में खड़े हो जाना आम आदमी की नजर में लगातार प्रश्नित होता जा रहा है। जब आज तक हर विवादित मुद्दे पर जे.पी.सी. का गठन होता आया है तो अदानी मामले में क्यों नहीं? क्यों केंद्रीय कानून मंत्री सर्वोच्च न्यायालय और सेवानिवृत्त जजों के खिलाफ हर कुछ बोलने लग गये हैं। जनता इस सब पर नजर रख रही हैं और यही भाजपा तथा मोदी सरकार का कमजोर पक्ष बनता जा रहा है।

तिरहुत की लोक-कथा/ जातीय सद्भाव, एक कल्लाह योद्धा ने बचाई ब्राह्मण कुमारी कन्या की लाज

गौतम चौधरी

तीरभुक्ति यानी तिरहुत के लोक जीवन में कमला नदी इस प्रकार रची-बसी है कि उसे आप सहजता से समझ सकते हैं। यह लोक परंपराओं में भी विद्यमान है। यही कारण है कि माई कमला तिरहुत की कई लोक कथाओं में भिन्न-भिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है। आज हम उन्ही लोक कथाओं में कमला के विमर्श को आपके सामने अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं। तसल्ली से पढ़िए और कमला के संपूर्ण व्यक्तित्व का अनुभव कीजिए।

कमला बिहार तथा तिरहुत की एक प्रसिद्ध नदी है। बिहार की सबसे चंचल नदी कोसी के सन्दर्भ में जो भयावहता जुड़ी हुई है, वैसी बातें तो कमला के साथ नहीं है लेकिन कई ऐसी बातें कमला के साथ जुड़ी है, जो उसे अन्य नदियों के चरित्र से थोड़ा अलग दिखाता है। कोसी का पानी कृषि के लिये उपयोगी नहीं है, जबकि कमला जीबछ है। इसका अर्थ जीवों को अपने अंकों में पालने वाली जीवनदायनी है। तिरहुत में कहा जाता है कि कमला का पानी जहां पड़ जाये वहां की मिट्टी से सोना उगलने लगता है। इतनी जीवनदायिनी नदी होने के बावजूद कमला के बारे में प्राचीन संस्कृत साहित्य में कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता। आदि ग्रंथ रामायण तथा महाभारत में भी कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता जिससे कि यह निर्विवाद संकेत मिले कि कमला को रेखांकित किया गया है। जैन और बौद्ध साहित्य भी कमला पर मौन साध लेता है। लेकिन लोक कथाओं तथा किंवदंतियों में कमला कोसी से ज्यादा जीवंत है। कमला को स्थानीय लोग एक अविवाहित ब्राह्मण कन्या मानते हैं।

लोक कथाओं के अनुसार, ''कमला जब इन्द्र लोक में रहती थी तब एक बार स्वर्ग में सभी देवी-देवताओं की पूजा के लिये मृत्यु लोक में पुजारी नियुक्त किये जा रहे थे। सबके पुजारियों की व्यवस्था तो हो गई मगर कमला छूट गई और कोई ब्राह्मण ऐसा बचा नहीं जो कमला की नियमित पूजा कर सके। तब कमला ने ब्रह्मा से इस बात की शिकायत की। कमला ने कहा, जब ब्राह्मण ही नहीं बचे तो उसकी पूजा कौन करेगा? ब्रह्मा ने कमला को बताया कि वह तो पानी की देवी है अत: उसकी पूजा मल्लाह जाति के लोग करेंगे। उन्होंने कमला से कहा कि मृत्युलोक में विश्वम्भर सरदार और उसकी पत्नी रानी गजवन्ती से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही कमला की पूजा शुरू करवायेगा। प्रचलित मान्यता के अनुसार विश्वम्भर सरदार बिहार में दरभंगा जिले के उत्तर पश्चिम में सिंहवारा के पास भरौरा नामक गांव के रहने वाले थे। ब्रह्मा ने जब यह बात कमला को बताई तब यह बालक रानी के गर्भ में था और वहीं से कमला की उत्सुकता इस बच्चे में बढ़ी। गर्भीदयाल सिंह नाम के इस बालक की गर्भ से लेकर उसके विवाह तथा शिक्षा दीक्षा तक की कहानी तिरहुत की लोक-कथाओं में वर्णित है, जिसे गाने व सुनाने वाले इसे कई दिन में कथा को पूरी कर पाते हैं। गर्भीदयाल सिंह का विवाह बेगूसराय जिले में बखरी के पास दुखहरन सरदार और उसकी पत्नी बहुरा से पैदा हुई कन्या धानी से हुआ। बहुरा जादूगरनी थी और उसने विश्वम्भर सरदार और गर्भीदयाल सिंह तथा उनके परिवार वालों को बहुत परेशान किया। हालांकि बाद में माई कमला की कृपा से सब ठीक हो गया। विवाह के बाद गर्भीदयाल सिंह ने तिलयुगा के किनारे कमला की पहली पूजा की और तभी से इलाके के मल्लाह कमला की पूजा करते आ रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी मल्लाहों के आराध्य देवता जयसिंह और कमला के साथ से जुड़ी हुई है।'' इस कथा के कई मायने हैं। इसकी व्याख्या कभी बाद में करूंगा।

एक दूसरी कथा के अनुसार ''कमला का एक शुभचिंतक मल्लाह था, जिसका नाम कोइलाबीर है। उसकी कुदाल का बेंट चौरासी मन का और फाल यानी पाट अस्सी मन का था। वह मिटी काट-काट कर कमला के लिये रास्ता तैयार करता था और कमला उसका अनुसरण करती थी। लोक कथाओं में कोइलबीर आज भी ऐसा करता है। कोइलाबीर आज भी किसी भी विपत्ति से कमला की रक्षा करता है। कहते हैं कि एक बार चमड़े और हड्डी के कारोबारी, 'उगला' की दृष्टि अति सुंदरी ब्राह्मण कन्या, कमला पर पड़ी और उसे इस बात से ईर्ष्या हुई कि कमला की सब लोग पूजा करते हैं मगर उसको कोई नहीं पूछता। उगला ने तय किया कि वह कमला को वह बांध देगा और जैसे ही कमला ऊपर की ओर उठेगी, वह उसे खींच कर अपने घर ले जाएगा, उसकी मांग में सिन्दूर भरेगा और उससे शादी करेगा। कमला उगला के इस संकल्प से डर गई और उसने कोइलाबीर को अपनी व्यथा और उगला की नीयत के बारे में बताया। कोइलाबीर ने उगला के मिट्टी के बांध को जा कर काट दिया और कमला फिर आजाद हो कर बहने लगी।'' यहां कमला के भाई के रूप में कोइलाबीर को चित्रित किया गया है।

''उगला भी हार मानने वाला नहीं था। उसने अगली बार कमला को हड्डी का बांध बना कर घेर लिया। कमला फिर कोइलाबीर के पास गई और अपनी तकलीफ सुनाई। कोइलाबीर बाँध तक तो आया मगर यह देख कर कि बाँध हड्डी का बना हुआ था, उसे छूने या तोड़ने से मना कर दिया क्योंकि उसके हिसाब से यह काम अपवित्र था। उसने कमला से कहा कि तुम दिल्ली चली जाओ जहाँ तुम्हें महाराज अमर सिंह नाम का एक राजा मिलेगा जो कि शायद यह हड्डी का बना हुआ बाँध तोड़ दे। राजा ब्रह्मचारी हैं और उसका सात महल का गढ़ है जिसके दक्षिण में चन्दन का एक पेड़ है और वहीं उसका सात कोस का अखाड़ा है जिसे देख कर तुम पहचान जाओगी। कमला दिल्ली आई और अखाड़ा पार कर के चन्दन के पेड़ पर बैठ गई। वहां जब व्रती राजा अमर सिंह पहुँचे तो उन्हें कुछ दाल में काला लगा कि उनकी ताकत घट गई है और वह सोचने लगे कि निश्चित ही इस अखाड़े को किसी स्त्री ने काट दिया है और अखाड़ा अब पहले जैसा नहीं रहा। राजा गुस्से में बड़बड़ाया कि अगर यह स्त्री उसे मिल जाय तो वह उसे एक जोरदार मुक्का मार कर जमीन में अस्सी फुट नीचे दबा देगा। पेड़ पर छिप कर बैठी कमला को विश्वास हो गया कि यही आदमी अमर सिंह है और वह मोरांग जाकर उगला से उसकी रक्षा अवश्य करेगा। कमला प्रत्यक्ष हो गई और सारी बातें उसने अमर सिंह को कह सुनाई कि कैसे-कैसे उगला ने उसे बांध रखा है और सिन्दूर लेकर उसे जबर्दस्ती शादी करने के लिये खोज रहा है। अमर सिंह ने धैर्यपूर्वक कमला की सारी बातें सुनी और उससे वायदा किया कि वह उसकी रक्षा करेगा और ऐसा न कर पाने पर अस्सी कोस के नर्क में गिरेगा।

अमर सिंह क्षत्रीय था। उसका शरीर नौ गज लम्बा और छ: गज चैड़ा शरीर था। अमर सिंह मातृभक्त भी था। वह अपनी माता की आज्ञा ले कर उगला व्यापारी से युद्ध करने कमला के साथ चल पड़ा। अमर सिंह का उगला के साथ भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में उगला मारा गया लेकिन जब बांध की ओर अमर सिंह बढ़ा तो देखा कि यह तो हड्डी का बना हुआ था और हड्डी अमर सिंह भी नहीं छूएगा। अमर सिंह ने कमला से कहा कि वह तो यह हड्डी का बांध नहीं तोड़ पायेंगा। अमर सिंह ने कमला को कहा कि पश्चिम में अरब देश में एक मीरन फकीर रहते हैं, वह इसे जरूर तोड़ देंगे, उनको बुला लाओ। अब कमला मीरन फकीर के पास जाकर हड्डी के बांध को तोड़ने के लिए मनाया। मीरन फकीर आए और कमला पर हड्डी के बने बांध को तोड़ दिया। कमला उस समय से बिना किसी बाधा निरंतर प्रवाहित हो रही है।'' तब से कमला के साथ-साथ मीरन या मीरा फकीर की पूजा भी होती है।

कमला की इस लोक कथा में संपूर्ण उपमहाद्वीप की चर्चा है। इसके साथ ही अरब देश की भी चर्चा की गयी है। इसका मतलब यह है कि उन दिनों तिरहुत का केवल राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध दुनिया के अन्य देशों के साथ था अपितु उस समाज का सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप भी था। इन लोक-कथाओं में कल्पना की कितनी उड़ान है, इसका पता लगाना सहज है लेकिन कल्पना का भी अपना अस्तित्व होता है। जाहिर है नदियां हमारे परिवेश, सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह जमारे लोक जीवन को तो प्रभावित करती ही हैं साथ में हमारी सोच और संस्कृति को भी एक आयाम प्रदान करती है। इनकी हैसियत केवल जल-निकासी की क्षमता से नहीं आंका जा सकता है। बता दूं कि मधुबनी जिले स्थित झंझारपुर के पास कमला के बायें तटबन्ध पर परतापुर में मई कमला का एक मंदिर है, जहां हर वर्ष मेला लगता है। कमला केवल लोक-कथाओं में ही नहीं लोक-गीतों में भी प्रचलित है।

क्या है हिन्दू फोबिया का कारण विशेष श्रद्धा का प्रतीक भद्रकाली मंदिर भलेई

डॉ. नीलम महेंद्र

आज जहां एक तरफ देश में हिन्दू राष्ट्र चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में रामनवमी के जुलूस के दौरान भारी हिंसक उत्पात की खबरें आती हैं। एक तरफ हमारे देश में देश में धार्मिक असहिष्णुता या फिर हिन्दुफोबिया का माहौल बनाने की कोशिशें की जाती हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका की जॉर्जिया असेंबली में हिन्दूफोबिया' (हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह) की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस प्रस्ताव में कहा जाता है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म है और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 1.2 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं। यह धर्म स्वीकार्यताए आपसी सम्मान और शांति के मूल्यों के साथ विविध परंपराओं और आस्था प्रणालियों को सम्मिलित करता है। हिन्दू धर्म के योग, आयुर्वेद, ध्यान, भोजन, संगीत और कला जैसे प्राचीन ज्ञान को अमेरिकी समाज के लाखों लोगों ने व्यापक रूप से अपना कर अपने जीवन को सुधारा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 3.6 करोड़ अमरीकी योग करते हैं और 1.8 करोड़ ध्यान लगाते हैं।

इन परिस्थितियों में प्रश्न यह उठता है कि क्या हिन्दू धर्म जिसे हम सनातन धर्म भी कहते हैं और 'सनातन संस्कृति' भी कहते हैं इसमें ऐसा क्या है कि 'हिन्दुफोबिया' जैसी भावना या फिर ये शब्द ही आस्तिव में आया।

क्या है ये सनातन संस्कृति जिसका साक्षी भारत रहा है। क्या ये वाकई में अनादि और अनन्त है। वर्तमान में इस प्रकार के प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक हो गए हैं। लेकिन समस्या ये है कि इन प्रश्नों के उत्तर किसी पुस्तक में तो कतई नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये प्रश्न जितने जटिल प्रतीत होते हैं इनके उत्तर उससे कहीं अधिक सरल हैं। हमारे मन में यह विचार आ सकता है कि यदि हम वेद पुराण आदि पढ़ लें तो हमें इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शायद ऐसा सोचने वाले लोगों के लिए ही कबीर ये पंक्तियां लिख कर गए थे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बना न कोय ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होय। देखा जाए तो इन सरल सी पंक्तियों में कितनी गहरी बात छिपी है।

वाकई में अगर हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहते हैं तो हमें किसी वेद पुराण या किसी किताब को नहीं बल्कि भारतीय समाज को, उसकी समाजिक व्यवस्था को बारीकी से समझना होगा। वो संस्कृति जो संस्कारों से बनती है। वो संस्कार जो पीढ़ी दर पीढ़ी मां से बेटी में और पिता से बेटे में स्वत: ही बेहद साधारण तरीके से चले जाते हैं। इस प्रकार एक परिवार से समाज में और समाज से राष्ट्र में ये संस्कार कुछ इन सहजता से जाते हैं कि वो उस राष्ट्र की आत्मा बन जाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि संस्कार देने वाला जान नहीं पाता और लेने वाला समझ भी नहीं पाता कि कब एक साधारण सा व्यवहार संस्कार बनते जाते हैं और कब ये संस्कार संस्कृति का रूप ले लेते हैं।

ये भारत में ही हो सकता है कि कहीं किसी गली या मोहल्ले में अगर कोई गाय ब्याहती है (बछड़े को जन्म देती है) तो आस पास के घरों से महिलाएं मिल जुल उसके लिए दलिया बनाकर उसे खिलाती हैं, उसके बछड़े के लिए घर से किसी पुराने कपड़े का बिछावन बनाती हैं।

कहीं किसी नुक्कड़ पर यदि किसी कुक्करी (मादा श्वान) ने पिल्ले दिए हैं तो आस पास के घरों से बच्चे उसके और उसके पिल्लों के लिए दूध और खाने का विभिन्न सामान लेकर आते हैं और माता पिता भी बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। ये भारत में ही होता है कि लोग सुबह की सैर के लिए निकलते हैं तो चींटियों और मछलियों के लिए घर से आटा लेकर निकलते हैं। ये भारत में ही होता है कि लोग अपने घरों की छत पर पानी से भरा मिट्टी का सकोरा और दाना पक्षियों के लिए रखते हैं। ये भारत में ही होता है कि हर घर की रसोई में पहली रोटी गाय के लिए और आखरी रोटी कुत्ते के लिए बनती है। ये छोटी छोटी बातें भारत के हर व्यक्ति का साधारण व्यवहार है जिससे कि इस सृष्टि के प्रति उसके दायित्वों का निर्वाहन अनजाने ही सहजता से हो जाता है। इस व्यवहार को करने वाले व्यक्ति ने भले ही वेदों का औपचारिक रूप से अध्ययन न किया हो लेकिन फिर भी ये सभी कार्य वो अपनी दिनचर्या में सामान्य रूप से करता है। लेकिन अब अगर आपको बताया जाए कि वेदों में पांच प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं जिनमें से एक है 'वैश्वदेवयज्ञ' सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्त्तव्य समझना उन्हें अन्न.जल देना, जो कुछ भी भोजन पकाया गया हो उसका कुछ अंश गाय, कुत्ते और पक्षी को देना ही वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है तो आप क्या कहेंगे।

ये है हिन्दू धर्म या सनातन संस्कृति जिसकी जड़ें संस्कारों के रूप में परम्पराओं के रूप में भारत की आत्मा में अनादि काल से बसी हुई हैं।

ये भारत में ही होता है जहाँ एक अनपढ़ व्यक्ति भी परम्परा रूप से नदियों को माता मानता आया है और पेड़ों की पूजा करता आया है। हिन्दुफोबिया से ग्रसित लोग जिसे अंधविश्वास और पिछड़ापन कहते रहे आज आधुनिक वैज्ञानिक उसे विज्ञान मानने के लिए विवश हैं। उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि वो बेचारे तो आज यह खोज पाये हैं कि पेड़ भी जीवित होते हैं। वे आज जान पाये हैं कि पेड़ 40 किलो हर्ट्ज से 80 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की आवाजें भी निकालते हैं। लेकिन चूंकि मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाजें ही सुन सकता है इसलिए हमें वो आवाजें सुनाई नहीं देती। भले ही आधुनिक वैज्ञानिक आज जान पाये हों कि हर पौधा खुश भी होता है दुखी भी होता है, उसे डर भी लगता है, उसे पीड़ा भी होती है। लेकिन भारत के लोग तो सनातन काल से पेड़ों को चेतन मानते आये हैं। इसीलिए संध्या के बाद उन्हें जल तक नहीं देते कि वो विश्राम कर रहे हैं। और अगर औषधीय उपयोग के लिए भी यदि उनके किसी अंग को लेते हैं जैसे पत्ते, फूल, छाल अथवा बीज या फिर जड़ तो पहले उस वृक्ष से अनुमति मांगते हैं, क्षमा मांगते है। यहां लोग पत्थर को भी पूजते हैं और कंकड़ में भी शंकर को ढूंढते हैं। भारत के लोग ऐसे जी जीवन जीते हैं, सदियों से जीते आयें हैं और आगे भी जीते रहेंगे। क्योंकि भारत की आत्मा इन्हीं संस्कारों में बसती है।

ये ही है भारत, यही है हिन्दू धर्म यही है सनातन संस्कृति।अब इस सनातन धर्म से किसी को हिन्दुफोबिया हो रहा है तो आगे आप खुद समझदार हैं।

शिमला। हिमाचल प्रदेश को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहां शिव–शक्ति, 33 करोड़ देवी–देवताओं का वास और परम सिद्धों, नाथों की भक्ति–साधना देवभूमि हिमाचल को विख्यात बनाती है।

देवस्थलों पर हर वर्ष लगने वाले मेले आज भी प्राचीन परम्पराओं को जीवंत बनाए हुए हैं। प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई गांव, शहर, या नगर होगा जहां देवी देवताओं का वास ना हो।

इसी तरह प्राचीन मंदिरों में शुमार सब की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मां भद्रकाली ना केवल ज़िला चंबा में अपितु हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर राज्यों के लोगों में भी विशेष आस्था है ।

भलेई स्थित माँ भद्रकाली का ये मंदिर ज़िला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूर ओर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

माता के मंदिर में स्थानीय लोगों के अलावा दूर–दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। आम दिनों के अलावा नवरात्रों में यहां भारी संख्या में श्रद्धालु शीश नवाकर अहोभाग्य प्राप्त करते हैं ।

आज भी यहाँ मां के साक्षात चमत्कार घटित होते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने से मां की प्रतिमा से पसीना निकलता है जिसे श्रद्धालुओं के प्रति मां का आशीर्वाद माना जाता है ।

जनश्रुति के अनुसार यह भी कहा जाता है कि 1569 ई में चंबा रियासत के राजा प्रताप सिंह को मां ने स्वप्न में बताया था कि वे भद्रकाली हैं और भ्राण नामक गांव में बावड़ी के समीप एक पत्थर पर विराजमान हैं। पत्थर के नीचे धन के 3 चरवे हैं । धन का प्रयोग मंदिर निर्माण, यज्ञ, प्रतिष्ठा व राजकार्य में किया जाए।

सुबह आंख खुलते ही राजा ने ऐसा ही पाया वह मां की प्रतिमा को सोने की पालकी में सजाकर खूब शानों शौकत के साथ कारदार कोठी (भलेई) ले आए।

विश्राम के उपरांत जब वे पालकी उठाने लगे तो पालकी स्थिर हो गई। आकाशवाणी हुई कि हे राजन अब मैं चंबा नहीं जाऊंगी मेरा मंदिर यहीं बनवा दो, राजा प्रताप ने ऐसा ही किया।

ऐसा भी कहा जाता है कि माँ ने इस मंदिर में महिलाओं के लिए प्रवेश वर्जित किया था। लगभग चार दशक पूर्व उपासक महिला को मां दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन की अनुमति दे दी। तभी से महिलाएं भी मां के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं।

मंदिर के मुख्य पुजारी डॉ. लोकी नंद शर्मा बताते हैं कि भ्राण गांव में देवी भद्रकाली प्रकट हुई थी। जिसके बाद भलेई में मंदिर की स्थापना की गयी। उन्होंने बताया कि 16वीं शताब्दी में 1569 ई में चंबा के महाराजा प्रताप सिंह को स्वप्न में माता ने निर्देश दिए कि मैं आपके इलाके भलेई से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित गांव भ्राण में पानी के चश्मे के पीछे दीवार के बीच में हूं और मैं चंबा जाना चाहती हूं, मुझे चंबा ले जाकर मेरा मंदिर बनाओ। दूसरे दिन सुबह राजा अपने मंत्रियों से परामर्श लेकर भलेई के लिए रवाना होकर गांव भ्राण में पहुंचकर माता द्वारा बतलाई गई जगह पानी के चश्मे के पास की दीवार को निकाला गया जहां पर राजा को मां की मूर्ति के दर्शन हुए। इसके साथ राजा को माता ने सपने में यह भी निर्देश दिए थे कि जिस पत्थर पर मैं विराजमान हूं उसके नीचे तीन बटोहियां धन की है, उन्हें चंबा ले जाना जिसमें एक बलटोही का धन मंदिर निर्माण करने के लिए, दूसरी का मंदिर बनने के बाद यज्ञ भंडारा के लिए तथा तीसरी बलटोही अपने राजकोष में रख लेना। उसके उपरांत राजा ने मूर्ति को पालकी में उठाकर कारदार कोठरी लेकर आए और खाना खाने के लिए 1 घंटे के लिए विश्राम करने के पश्चात जब उन्होंने पालकी को उठाने लगे तो पालकी भारी हो गई जो कि राजा और उनके साथ आए लोगों द्वारा नहीं उठाई गई।

पुजारी बताते हैं कि राजा ने कहा कि यहां पर कोई पंडित या पुजारी है तो उसको बुलाया जाए यह मूर्ति क्यों नहीं उठाई जा रही है मुझे तो माता ने स्वप्न में यही बताया था कि मैं चंबा जाना चाहती हूं। पुजारियों ने मां की पूजा अर्चना कर मां का ध्यान किया और माता द्वारा भलेई में पर ही रहने का आदेश हुआ। उसके उपरांत भलेई में माता की मूर्ति की स्थापना हुई।

पुजारी ने बताया कि राजा के सुपुत्र महाराज शिरि सिंह जब यहां मंदिर दर्शन के लिए आए और उन्होंने यहां पर स्थापित मूर्ति की प्रशंसा की और उन्होंने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि इस मूर्ति को यहां से ले जाकर चंबा में मंदिर बनाने की बात कही। जब उन्होंने मूर्ति को यहां से ले जाने की कोशिश की तो नदी में पैर रखते ही वे अंधे हो जाते और जैसे ही वापस मंदिर की ओर आते तो उनकी आंखों की रोशनी चली आती। इसके बाद राजा ने वापस दूसरी बार यहीं पर मूर्ति की स्थापना की।

इस मूर्ति के दर्शन पहले केवल पुरुषों के लिए ही थे और औरतों के लिए दर्शन करने का प्रतिबंध था। अभी लगभग 50 साल पहले चंबा की साध्वी महिला दुर्गा देवी को मां का स्वपन हुआ जिसके बाद ही महिलाओं को माता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

उन्होंने बताया कि नवरात्रों के समय खासकर मार्च और अप्रैल माह में होने वाले नवरात्रों में भारी भीड़ रहती है। उन्होंने बताया कि यहां बच्चों के मुंडन संस्कार भी किए जाते हैं। मुंडन संस्कार के लिए जिला चंबा के साथ–साथ जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ और पंजाब से भी लोग यहां आते हैं।

उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में भंडारा और जगराते करने के लिए जगराता भवन का निर्माण भी किया गया है। यहां पर जगराते और भंडारा करने का पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। नवरात्रों के दौरान यहां पर भंडारे की समुचित व्यवस्था की जाती है। उन्होंने बताया कि मंदिर सुबह 4:00 से रात 10:00 बजे तक खुला रहता है।

पुजारी ने बताया कि 1969 में जैसे ही मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने शुरू हुई तो यहां पर मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया जो आज तक पूर्ण रूप से कार्यशील है और बेहतर कार्य कर रही है।

मंदिर के चढ़ावे का हिस्सा भी हर माह मंदिर प्रबंधन समिति को जाता है। प्रबंधन समिति द्वारा मंदिर के रखरखाव के सारे कार्य अच्छी तरह पूर्ण किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने एचपीपीटीसीएल को निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीटीसीएल) की ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

यहां आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉरपोरेशन अपनी टेंडर प्रक्रिया की अवधि को कम कर निर्माण कार्य में तेजी लाये ताकि राज्य को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके और लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राजस्व में बढ़ौतरी के लिए एक तकनीकी कमेटी का गठन किया जाएगा, जो एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तथा वर्तमान राज्य सरकार संसाधन बढ़ाने की दिशा में अनेक प्रयास कर रही है, ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचपीपीटीसीएल की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि कॉरपोरेशन के पास 15 सब स्टेशन तथा 964 सर्किट किमी लाइने हैं तथा अनेक परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में कॉरपोरेशन को 166.99 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। वर्ष 2025 तक कॉरपोरेशन की आय बढ़कर 455 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री ने 6 किलोमीटर शोंगटोंग-बास्पा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य को अगले डेढ़ साल तक पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि यह 450 मेगावाट विद्युत निकासी के लिए महत्वपूर्ण है। शोंगटोंग-कड़छम विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य जुलाई, 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस लाईन के निर्माण कार्य में देरी से राज्य के राजस्व को नुकसान होगा, इसलिए कॉरपोरेशन को इस लाईन के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देनी होगी।

उन्होंने कहा कि एसपीपीटीसीएल भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप कार्य करे। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क तथा लमलैहड़ी और पेखुबेला में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उचित ट्रांसमिशन की व्यवस्था की जाए। इसके लिए नैहरियां से ऊना के लिए 220/132 केवी सब-स्टेशन और 41 किमी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन जिला सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क तथा जिला सिरमौर के काला अंब में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए भी ट्रांसमिशन की उचित व्यवस्था करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। इसके साथ-साथ देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है और फतेहपुर क्षेत्र में सौर परियोजनाओं के निर्माण की काफी सम्भावनाएं हैं, इसलिए एचपीपीटीसीएल यहां भी भविष्य की

जरूरतों के अनुरूप ट्रांसमिशन लाइनें बिछानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने में कॉरपोरेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ इसके लिए दृढ़ प्रयास करें।

बैठक में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव वित्त अक्षय सूद, प्रबंध निदेशक एचपीपीटीसीएल ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने मुकेश अग्निहोत्री का कुशलक्षेम जाना

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निवास स्थान पहुंच कर उनका कुशलक्षेम जाना। उप-मुख्यमंत्री अपने आवास परिसर में टहलते समय गिर जाने से घायल हो गए। आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन रहने के उपरान्त उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गयी।

मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल व मोहन लाल ब्राकटा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा और विधायकगण मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहे।

प्रदेश में एक अप्रैल से आरंभ होगा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचनों के लिए प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का एक अप्रैल, 2023 से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जा रहा है।

प्रवक्ता ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक अधिकारी के कार्यालयों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 5 अप्रैल, 2023 को किया जाएगा। इन सभी स्थानों पर दावे/आक्षेप दाखिल करने की अवधि 5 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2023 तक निर्धारित की गयी है। सभी मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त करने के विशेष अभियान की तिथि 8 व 9 अप्रैल तथा 15 व 16 अप्रैल, 2023 निर्धारित की गयी हैं। उन्होंने बताया कि दावे व आक्षेपों का निपटारा 28 अप्रैल, 2023 तक तथा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की तिथि 10 मई, 2023 निर्धारित की गयी है।

उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत यह प्रारूप मतदाता सूचियां 5 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2023 तक इन कार्यालयों पर निःशुल्क निरीक्षण तथा विभिन्न प्रकार के दावे/आक्षेप फार्म 6, 6क, 7 व 8 पर दर्ज करने के लिए उपलब्ध रहेंगी।

कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्वाचन विभाग के कॉल सेंटर में निःशुल्क दूरभाष सेवा के नंबर 1950 पर प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी पात्र नागरिक, जो एक जुलाई, 2023 एवं एक अक्तूबर, 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहा है, निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए 5 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2023 तक प्रारूप-6 पर अपना आवेदन अग्रिम में भी प्रस्तुत कर सकता है।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों में कोई भी नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इंटरनेट वेबसाइट http://ceohimachal.nic.in में भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP/ VHA) वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है जिसमें ऑन-लाइन फॉर्म (नाम दर्ज करने, अपमार्जन हेतु तथा संशोधन से संबंधित) भरे जा सकते हैं।

उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों, स्थानीय राजनीतिक दलों, गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, महिला एवं युवा मंडलों से आहवान किया है कि वे प्रकाशन प्रारूप की अवधि 5 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2023 तक प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण करने के पश्चात पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में से हटवाने में अपना सहयोग दें।

हिमाचल प्रदेश रेरा को ई-गवर्नेंस पुरस्कार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) को उपभोक्ता अनुकूल वेब पोर्टल विकसित करने के लिए कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा विशेष अभिरुचि समूह (एसआईजी) ई-गवर्नेंस पुरस्कार से नवाज़ा गया है। रेरा के अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्राप्त किया।

श्रीकांत बाल्दी ने बताया कि इस उपभोक्ता अनुकूल वेब पोर्टल का डिजाइन और विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) हि.प्र. द्वारा ओमिडयार नेटवर्क और प्रैक्सिल ग्लोबल एलायंस के सक्रिय मार्गदर्शन एवं सहयोग से किया गया है। उन्होंने कहा कि रेरा का प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शिता लाते हुए रियल एस्टेट परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करना और रियल एस्टेट खरीदारों में विश्वास बनाये रखना है।

उन्होंने कहा कि यह एक सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित वेब पोर्टल है जो सभी हितधारकों, आम लोगों यानि घर खरीदारों अथवा आवंटियों, प्रमोटर्ज़, एजेंटों की मदद करने के लिए विकसित किया गया है। इस वेब पोर्टल में चार माडयूल शामिल हैं। इनमें रियल एस्टेट परियोजनाओं एवं रियल एस्टेट एजेंट का ऑनलाइन पंजीकरण, त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को ऑनलाइन भरना, पीड़ित व्यक्तियों द्वारा शिकायत दर्ज करना और पंजीकरण से पहले एवं पश्चात की सुविधा शामिल है।

श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि रेरा की वेबसाइट https://hprera.nic.in के माध्यम से रियल एस्टेट परियोजनाओं के स्थल एवं इसके निर्माण की स्थिति, प्लॉट, अपार्टमेंट एवं वाणिज्यिक इकाइयों की उपलब्धता इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी प्रमोटर्ज़ को पंजीकरण के लिए मामले ऑनलाइन अपलोड करने के लिए चौबीस घण्टे सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रमोटर्ज़ बल्क ई-मेलिंग/एसएमएस प्रणाली से जुड़े हैं तथा इसमें उन्हें परियोजना के पंजीकरण और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने तथा प्राधिकरण के महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में सूचना प्रदान की जाती है।

उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट परियोजना के पंजीकरण से पहले तथा इसके पश्चात की प्रक्रिया के लिए विभिन्न विभागों एवं निगमों से अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्वीकृति एवं अनुमति लेने की सुविधा प्रदान की गई है। परियोजना आरंभ करने के लिए समय पर अनुमोदन प्राप्त करने में यदि उन्हें संबंधित विभागों एवं बोर्डों में किसी भी असुविधा या देरी का सामना करना पड़ता है, तो वे रेरा में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा जारी सभी आदेश एवं निर्णय वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों को रेरा के वेबपोर्टल के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं तथा इनके लिए लोगों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

लैवेंडर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजना तैयार कर रही प्रदेश सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में अरोमा मिशन पर कार्य करेगी। अरोमा मिशन लैवेंडर की खेती की एक पहल है और यह जम्मू-कश्मीर में किसानों के लिए वरदान साबित हुई है।

हिमाचल प्रदेश में जिला चम्बा सहित कई क्षेत्रों की जलवायु परिस्थितियां जम्मू-कश्मीर के समान होने के कारण प्रदेश सरकार राज्य के कई क्षेत्रों में लैवेंडर की खेती को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने की योजना तैयार कर रही है। सरकार की इस पहल से राज्य के किसानों को आय का एक नया लाभदायक स्रोत प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ अरोमा मिशन के बारे में दूरभाष पर विस्तार से बातचीत की। जनवरी माह में नई दिल्ली में भी मुख्यमंत्री ने डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ इस विषय पर चर्चा की थी। केंद्रीय मंत्री ने इस परियोजना के लिए प्रदेश के किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से लैवेंडर की खेती से किसानों के जीवन में सार्थक बदलाव आएगा। अरोमा मिशन कृषि क्षेत्र के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को इस मामले को सम्बंधित मंत्रालय के समक्ष उठाने और परियोजना को जमीनी स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निर्देश दिये हैं।

प्रदेश सरकार खेती के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की योजना भी बना रही है। इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार से तकनीकी मदद प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। केंद्र सरकार राज्य के किसानों और बागवानों के लिए प्रशिक्षण शिविर और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी। इससे किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों की जानकारी उपलब्ध होगी तथा वह अपनी उपज की गुणवत्ता में सुधार लाकर अधिक आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।

लैवेंडर की खेती जिसे बैंगनी क्रांति (पर्पल रिवॉल्यूशन) के रूप में भी जाना जाता है, राज्य के किसानों के लिए एक आकर्षक विकल्प साबित हो सकती है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आयेगा।

मुख्यमंत्री ने 45.68 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले पीईटी ब्लॉक की आधारशिला रखी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिह सुक्खू ने शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में 45.68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले पहले पीईटी ब्लॉक की आधारशिला रखी। इसमें 21 करोड़ रुपये की पोजीट्रान एमिशन टोमोग्राफ(पीईटी) सीटी मशीन, 9 करोड़ रुपये स्पैक्ट सीटी मशीन के लिए तथा 15.68 करोड़ रुपये की राशि निर्माण कार्यों के लिए शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मरीजों को पीईटी स्कैन के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में मरीजों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पीईटी की सुविधा प्रदेश में प्राप्त होने से लोगों के पैसे और समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि एक बार पीईटी ब्लॉक का कार्य पूरा हो जाने के बाद यह कार्डियोलॉजी, मनोचिकित्सा, यूरोलॉजी और अन्य विभागों के अलावा कैंसर का पता लगाने, प्रतिक्रिया और फॉलो-अप की सुविधा प्रदान में सहायक होगा।

उन्होंने कहा कि पीईटी ब्लॉक तीन मंजिला इमारत होगी, जिसमें मरीजों, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आधुनिक सुविधाओं के अलावा लगभग 50 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक वर्ष के भीतर सभी मेडिकल कॉलेजों में पीईटी स्कैन सुविधाएं स्थापित करना है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैंसर केयर के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है और कैंसर के कारणों के अध्ययन के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और सरकारी अस्पतालों में रेफरल सिस्टम को समाप्त कर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जिसमें सभी मेडिकल कॉलेजों में आपातकालीन चिकित्सा विभाग की स्थापना भी शामिल है, ताकि लोगों को शीघ्र इलाज कराने में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस विभाग के आईसीयू में प्रति बेड एक स्टाफ नर्स तैनात की जाएगी। कैजुअल्टी वार्ड में तीन बेड पर एक स्टाफ नर्स तैनात की जाएगी और प्रत्येक 10 बेड पर एक डॉक्टर तैनात किया जाएगा। उनकी ड्यूटी आठ घंटे तक सीमित होगी। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला में ट्रॉमा सेंटर के साथ 175 बिस्तर क्षमता की आपातकालीन चिकित्सा सुविधा स्थापित करने के लिए 11 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा सेवाएं निगम खोलने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके माध्यम से अब सभी प्रकार की चिकित्सा मशीनरी, दवाएं और उपकरण खरीदे जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है और कैंसर रोगियों के उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला में पीईटी ब्लॉक के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में उन्नत तकनीक की सहायता से लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा और राज्य सरकार चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों की समस्याओं का समाधान कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने रामनवमी पर प्रदेशवासियों को दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रामनवमी पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के अवसर पर चैत्र नवरात्रों का समापन भी होता है।

उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार रामनवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जन्म हुआ और इस शुभ तिथि पर हम सभी को श्रीराम के आदर्शों एवं उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए।

वर्ष 2024 तक पूरा करें ऊहल जल विद्युत परियोजना का शेष कार्य:सुन्दर सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्य संसदीय सचिव, बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा सुन्दर सिंह ठाकुर ने ज़िला मण्डी में स्थित 100 मेगावाट क्षमता की ऊहल चरण-तीन जल विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना

कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित कर, वर्ष 2024 तक शेष कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल को वर्ष 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जल विद्युत और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ऊहल चरण-तीन परियोजना कार्य को समयबद्ध पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि परियोजना में गुणवत्तापूर्ण स्टील का उपयोग कर टनल का निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है। परियोजना में टनल निर्माण के लिए उड़ीसा के राउकेला से प्लेट्स आ रही हैं और इस कार्य के लिए टेंडर अवार्ड किए जा चुके हैं।

मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि उन्होंने हाल ही में निर्माणाधीन पन विद्युत परियोजना स्थल का दौरा कर, टनल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने फील्ड स्टाफ से विकास कार्यों की जानकारी हासिल कर, उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड रामसुभग सिंह,सचिव बहुद्देशीय परियोजनाएं एव ऊर्जा राजीव शर्मा, प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, पंकज डडवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सौर ऊर्जा निभाएगी उपयोगी भूमिका

शिमला/शैल। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा में निवेश का प्रस्ताव प्रदेश के मौलिक एवं बहुमूल्य पर्यावरण को संरक्षित करने की दृष्टि से सकारात्मक परिणाम लाने की दिशा में एक कारगर कदम है। प्रदेश के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने से एक ओर 'हरित एवं स्वच्छ हिमाचल' की राह प्रशस्त होगी, वहीं यह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिमाचल को 'हरित ऊर्जा राज्य' बनाने के संकल्प को भी पूरा करने में सहायक होगा।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में तेजी से उभर रही सौर ऊर्जा की जलवायु परिवर्तन तथा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि मानव, वन्य जैव संपदा तथा पारिस्थितिकीय तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए भी आवश्यक है। ऊर्जा उत्पादन में जल के उपयोग को कम करने तथा वायु की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से भी सौर ऊर्जा अहम भूमिका निभा सकती है।

राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिला में पायलट आधार पर दो-दो ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट से एक मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर इन्हें 'हरित पंचायतों' के रूप में विकसित करने पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपने पहले हरित बजट में प्रदेश के युवाओं को निजी अथवा पट्टे पर ली गयी भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत उपदान देने के लिए भी प्रस्ताव किया है।

राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में सौर ऊर्जा पर आधारित 'बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम' स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

राज्य सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से लगभग 200 करोड़ रुपये का 'हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' भी प्रस्तावित किया है। इसके अन्तर्गत 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं और राज्य में 11 उपकेन्द्र तथा 13 शहरों के लिए दो वितरण लाइनों के निर्माण का प्रावधान है।

सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन से राज्य में प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं की स्थिति में इलैक्ट्रिसिटी ग्रिड सिक्योरिटी उपलब्ध होगी। सोलर पैनल ग्रांट के साथ ही सौर ऊर्जा से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को विद्युत ग्रिड में भेजने से उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य होंगे और उपभोक्ताओं को आय का साधन भी उपलब्ध होगा।

इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश करने के लिए देश के बड़े निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों ने स्वीकृति प्रदान की है।

देश का प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सतलुज जलविद्युत निगम सीमित प्रदेश में पांच सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करेगा। ऊना जिला के थपलान में 112.5 मैगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त ऊना जिला के भंजल और कध में 20 मैगावाट क्षमता, कांगड़ा जिला के फतेहपुर में 20 मैगावाट, सिरमौर जिला के कोलर में 30 मैगावाट तथा कांगड़ा जिला के राजगीर में 12.5 मैगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं पूर्व निर्माण चरण में हैं।

हरित ऊर्जा राज्य की संकल्पना को साकार करने के दृष्टिगत सरकार सभी निष्पादन एजेंसियों को परियोजनाएं स्थापित करने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार कंपनियों को सहायता प्रदान करने के लिए निजी भूमि की खरीद के नियमों में संशोधन पर भी दृढ़ता से विचार कर रही है।

राज्य सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों में स्वयं भी निवेश करेगी और वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 200 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (एच.पी.पी.सी.एल.) द्वारा स्थापित की जाएंगी और इसमें से 70 मेगावाट क्षमता के लिए भूमि भी चिन्हित कर ली गयी है।

हिमऊर्जा भी 150 मेगावाट क्षमता तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करेगा और इनमें हिमाचलियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

इन परियोजनाओं से राज्य को आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने तीन मेगावाट क्षमता से अधिक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं से रॉयल्टी प्राप्त करने के दृष्टिगत हिमऊर्जा को एक प्रारूप तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।

हिमाचल में मौसम पूर्वानुमान निगरानी तकनीक होगी स्थापित

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार शीघ्र ही किन्नौर और लाहौल-स्पिति ज़िलों में मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए दो और डॉपलर रडार स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है। इससे प्रदेश में शीघ्र ही मौसम पूर्वानुमान के लिए वैज्ञानिक डॉटा की पूरी कवरेज़ होगी।

सरकार का यह कदम संवदेनशील क्षेत्रों में भारी बारिश और हिमपात आदि की स्थिति में नुकसान को कम करने के लिए त्वरित उपाय करने में सहायक सिद्ध होगा। इससे जिला प्रशासन को स्थिति के सही आकलन के लिए सतर्क करने में भी मदद मिलेगी। चंबा जिले के जोत और मंडी जिले के मुरारी देवी में हाल ही में दो डॉपलर रडार स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिससे राज्य का 70 प्रतिशत क्षेत्र पहले ही इसके अंतर्गत आ चुका है। यह स्टेशन 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम के पूर्वानुमान पर वैज्ञानिक डॉटा उपलब्ध करवाता है। प्रदेश में दो और स्टेशन स्थापित होने से पूरे राज्य में समय पर मौसम पूर्वानुमान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

डॉपलर रडार तकनीक मौसम विभाग को मौसम की सटीक स्थिति और पूर्वानुमान लगाने में सक्षम बनाएगी, जिससे समय पर जान-माल की सुरक्षा भी हो सकेगी। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत संदेनशील है, जिससे प्रदेश में रडार स्टेशनों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। नए स्टेशन मौसम की निगरानी क्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे प्रशासन को आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए शीघ्र प्रबंध करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नये स्टेशनों की स्थापना का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है और इनकी स्थापना की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार डॉपलर रडार स्टेशन स्थापित करने के अलावा केंद्र सरकार की मदद से कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में एक उच्च स्तरीय अत्याधुनिक भूकम्पीय प्रयोगशाला एवं डॉटा विश्लेषण केंद्र स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रयोगशाला एवं डॉटा विश्लेषण केंद्र स्थापित होने से न केवल बहुमूल्य जीवन को सुरक्षित किया जा सकेगा अपितु मौसम सम्बंधी सटीक जानकारी भी समय पर उपलब्ध हो सकेगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सरकार की मीडिया पॉलिसी पर उठे सवाल शिकायत पहुंची उच्च न्यायालय

शिमला/शैल। सरकार की मीडिया पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं और इसकी शिकायत प्रदेश उच्च न्यायालय तक भी पहुंच गयी है। मीडिया की संज्ञा भी इसी कारण से मिल रही है। क्योंकि मीडिया समाज की पक्षधरता छोड़कर केवल सरकार का ही स्तुतिवाचक होकर रह गया है। मीडिया को गोदी मीडिया बनाने में प्रशासन की भी अहम भूमिका रहती है। क्योंकि प्रशासन में भी हर कनिष्ठ कर्मचारी अधिकारी अपने वरिष्ठ को नजरअन्दाज करवा कर बड़ी कुर्सी हथियाना चाहता है। इसी कारण से सरकारों को मीडिया मंचों के माध्यम से सैकड़ों के हिसाब से श्रेष्ठता के पुरस्कार मिलने के बावजूद यह सरकारें सत्ता में वापसी नहीं कर पाती हैं। आज चार माह की सुक्खू सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को लेकर जो सवाल उठने शुरू हो गये हैं वह एकदम निराधार नहीं है। यह सरकार भी अपनी यशोगान के गिर्द ही केंद्रित होती जा रही है। जो लोग पिछली सरकार को पांच वर्ष हरा ही हरा दिखाते रहे वही आज इस सरकार के गिर्द भी घेरा डाल कर बैठ गये हैं। पिछली सरकार को भी अपनी नीतियों और कार्य योजनाओं में कमियां देखने का साहस नहीं था। सुक्खू सरकार भी उसी चलन पर आ गयी है। यह आरोप लगना शुरू हो गया है। पिछली सरकार में भी सच लिखने वालों को विज्ञापन न देकर उनकी आवाज बन्द करवाने के प्रयास किये गये थे और अब भी वही प्रयास शुरू हो गये हैं। जिस सरकार का सूचना और जनसंपर्क विभाग और उसके संचालक पहले दिन से ही विवादित हो जायें उसके दूसरे विभागों का अन्दाजा भी इसी से लगाया जा सकता है। यदि सरकार और विभाग समय रहते न संभले तो स्थितियां बिगड़ जायेंगी। क्योंकि कुछ सलाहकारों के झगड़े और कुछ अफसरों के आपसी विवाद चर्चित होने शुरू हो गये हैं।

संजय ठाकुर
लेखक, वरिष्ठ पत्रकार
हरि निवास, कमला नगर, संजौली,
शिमला-171006, हिमाचल प्रदेश, भारत।
दूरभाष: 0177-2842943, 9459366643

Sanjay Thakur
Author, Senior Journalist
Hari Niwas, Kamla Nagar, Sanjauli,
Shimla-171006, Himachal Pradesh, India
Phone: 0177-2842943, 9459366643

e-mail: sanjaythakur.smlhp@gmail.com
Website: sanjayuvaach.in

No..... Dated.....

To

The Director
Information and Public Relations,
Government of Himachal Pradesh,
Shimla-171002, Himachal Pradesh.

Subject: Regarding corrupt practices of Directorate of Information and Public Relations

Sir,

Respectfully, with the hope that some corrupt practices going on in the Directorate of Information and Public Relations will be stopped immediately and appropriate corrective measures will be taken, the following few facts are being placed before you:

1. That 12-14 years ago, the Directorate of Information and Public Relations empanelled the news websites of 10-12 experienced journalists of Himachal Pradesh who had previously worked with different esteemed media organisations such as British Broadcasting Corporation (BBC), Indo-Asian News Service, The Indian Express (Jansatta), The Statesman, Amar Ujala, Jagran, Dainik Bhaskar etc. and left them to run their own news websites. I myself was one of those 10-12 experienced journalists whose news website was empanelled in the Directorate of Information and Public Relations.
2. That these news websites were being provided the advertisements by the Directorate of Information and Public Relations.
3. That by the year 2020, the number of journalists operating their own news website had reached 20-21.
4. That after this, due to the greed for money and seeking media privileges, many non-journalists also started creating the news websites, in which some people from your department are also involved, as a result of which the number of such websites empanelled in the Directorate of Information and Public Relations reached the 147 mark.
5. That at present many government and non-government employees, website designers, hotel owners, shopkeepers, owner-employees of other commercial establishments and the journalists working with other media organisations have also created the news websites and are empanelled in the Directorate of Information and Public Relations. The Directorate of Information and Public Relations has not only violated the norms by providing benefits to these people but also wasted the public money on a large scale on these people during the last more than three years as the advertisements could be released only to the news websites of such genuine journalists who are neither posted anywhere in any governmental or non-governmental organisation nor running any business establishment.
6. That in the list of the empanelled news websites, there are also the news websites of such journalists who are working in various media organisations and are already taking advantage of the facilities provided by the Directorate of Information and Public Relations being accredited journalists. The Directorate of Information and Public Relations has also violated the norms and wasted the public money by providing double benefit to these people because there was no provision for releasing the advertisements to their news websites.
7. That the news websites of newspapers have also been empanelled in the Directorate of Information and Public Relations.
8. That on January 05, 2023 the Directorate of Information and Public Relations called for the viewership data of the news websites for December, 2022 in the name of issuing the advertisement for the month of January, 2023 and on the basis of that data the advertisement was issued to 69 news websites only.
9. That all the 69 news websites to which the advertisement was issued had submitted fake data to the Directorate of Information and Public Relations and none of these websites met the norms set for releasing the advertisement. The public money has been misused on a large scale by the Directorate of Information and Public Relations by issuing the advertisement to such news websites.
10. That the purpose of seeking the viewership data by the Directorate of Information and Public Relations was nothing but to issue the advertisement to some of their favourites by excluding the genuine journalists fulfilling all the criteria for the issuance of the advertisement. The Directorate of Information and Public Relations is encouraging the illegal practices by such arrangement.
11. That the Directorate of Information and Public Relations has also wasted the public money on a large scale by issuing the advertisements in the guise of news websites to the Facebook pages and YouTube channels of their favourites. This lavish expenditure is a sheer wastage of the public money.
12. That the Directorate of Information and Public Relations has wasted the public money on a large scale during the last three years by providing the advertisements to the news websites which were not eligible.
13. That I had sought the information from the Directorate of Information and Public Relations under the Right to Information Act, 2005 about the details of news websites and expenditure incurred on the news websites which has not been provided to me even after the completion of one month thus violating the Right to Information Act, 2005 which is enough to smell a rat.
14. That an advertisement has been published by the Directorate of Information and Public Relations on February 11, 2023 in the English daily newspaper The Tribune, in which applications have been invited by March 15, 2023 for the empanelment of the news websites/news portals in the Information and Public Relations Department, Himachal Pradesh as per the provisions of Himachal Pradesh News Websites/Web portals, Advertisements, Recognition and Accreditation Policy, 2022. This is not legal because there can't be a specific or fixed time for applying for empanelment of any newspaper, news channel or news website/news portal, rather this application is made only when any newspaper, news channel or news website comes into existence or fulfils the eligibility criteria under the particular norms or policy. This arrangement has been made by the Directorate of Information and Public Relations for the purpose of providing benefits to its favourites only.
15. That the conduct of the Directorate of Information and Public Relations have also hurt the respect of such senior journalists who have dedicated a major part of their life to the journalism.

In view of the above facts, you, hereby, are advised to take action as under and intimate me within a period of seven days failing which I will be left with no other option than to seek the legal remedies from the appropriate court of law, that too entirely at your costs and risks :

1. That all the 69 news websites which have received the advertisements by providing fake information to the Directorate of Information and Public Relations in January, 2023 should be blacklisted with immediate effect and the amount of money given to them through the advertisement should be recovered from the concerned officer or officers of the Directorate of Information and Public Relations.
2. That out of the remaining 78 news websites, the arrangements should be made to immediately select the regularly updated news websites of the genuine journalists and issue the advertisements to them on a regular basis.
3. That the ineligible news website should be immediately removed from the list of empanelled websites and the expenses incurred on them so far should be recovered from the concerned officer or officers of the Directorate of Information and Public Relations.
4. That the process being carried out as per the advertisement published in the daily newspaper The Tribune on February 11, 2023, the last date of which has been fixed as March 15, 2023, should be stopped immediately.
5. That the respect of the journalists, especially the senior journalists should be ensured by the Directorate of Information and Public Relations.

February 28, 2023

Sanjay Thakur
Senior Journalist

पत्रकार संजय ठाकुर ने मीडिया पॉलिसी के खिलाफ निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क को 28 फरवरी 2023 को एक शिकायत भेजी थी और 7 दिन के भीतर इस पर कारवाई करने और इसकी सूचना देने का आग्रह किया था। लेकिन जब विभाग ने इस समय के भीतर कारवाई नहीं की तब संजय ठाकुर में प्रदेश उच्च न्यायालय में दस्तक दे दी। संजय ठाकुर की दस्तक का संज्ञान लेते हुए जस्टिस त्रिलोक चौहान ने इस शिकायत पर 15 दिन के भीतर कारवाई करने के निर्देश निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क को दिये हैं। इस पर विभाग क्या कारवाई करता है इसकी प्रतीक्षा है। संजय ठाकुर की शिकायत भी पाठकों के सामने यथास्थिति रखी जा रही है। सूचना और जनसंपर्क विभाग किसी भी सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग होता है क्योंकि हर तरह के मीडिया से डील करता है। मीडिया से डील करने के नाते इस विभाग के पास सरकार और समाज से जुड़ी हर तरह की सूचना रहना अपेक्षित रहता है। क्योंकि मीडिया सरकार और समाज के बीच संवाद सेतु का धर्म निभाता है।

हर सरकार का यह प्रयास रहता है कि उसकी नीतियों और कार्यप्रणाली को लेकर ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक संदेश जनता के बीच जाये। सरकार से यह अपेक्षा रखती है कि वह उसका ज्यादा से ज्यादा यशोगान करें। लेकिन जब मीडिया और सरकार दोनों ही अपने इसमें अपने-अपने धर्म का अतिक्रमण कर जाते हैं और इससे समाज का नुकसान होना शुरू हो जाता है। आज जिस तरह से देश का राजनीतिक वातावरण राहुल बनाम मोदी की पराकाष्ठा तक जा पहुंचा उसमें सबसे पहला सवाल मीडिया की ही भूमिका पर उठता है। बल्कि मीडिया को गोदी

क्या सरकार गारंटीयों की दिशा में कोई कदम उठा पायेगी

- ✔ बजटीय आंकड़ों के परिदृश्य में उठा सवाल
- ✔ कई विभाग बाह्य वित्त पोषित योजनाओं के सहारे ही चल रहे

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने 17 मार्च को 53412.72 करोड़ का बजट अनुमान वर्ष 2023-24 के लिए सदन में रखा था जो 29 मार्च को पारित होने तक बढ़कर 56684 करोड़ का हो गया है। यह बढ़ौतरी राजस्व व्यय में हुई है। जब बजट पेश किया गया था तब राजस्व व्यय 42704 करोड़ आंका गया जो बढ़कर अब 45925 करोड़ हो गया है। पूंजीगत व्यय बजट पेश करते समय 8708.72 करोड़ आंका गया जो बढ़कर 10758.68 करोड़ हो गया है। वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय 45115 करोड़ संशोधित अनुमानों में आंका गया है। वर्ष 2022-23 के लिये 13141.07 करोड़ की अनुपूरक मांगे भी लायी और पारित की गयी है। इनके खर्चे का अंतिम ब्योरा जब आयेगा तब वर्ष 2022-23 के राजस्व व्यय और बजट के कुल आकार का आंकड़ा भी बढ़ेगा। आंकड़ों के इस गणित में वर्ष 2023-24 के लिये जो बजटीय अनुमान सदन में पारित किये गये हैं वह शायद अंतिम अनुमानों में वर्ष 2022-23 से कम पड़ जाएंगे और सरकार को पहले से भी ज्यादा आकार की अनुपूरक मांगे लानी पड़ेगी। बजट के इन आंकड़ों का आम आदमी पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि यह गणित आम आदमी का विषय ही नहीं होता है परन्तु इन आंकड़ों का व्यवहारिक प्रभाव आदमी पर ही पड़ता है। अभी सरकार को बने चार माह हुए हैं और उसका पहला बजट आया है। यह सरकार लोगों को 10 गारंटीयां देकर सत्ता में आयी है। दो गारंटीयों को अमलीजामा पहनाने का फैसला ले लिया गया है। लेकिन जब पिछले वर्ष और इस वर्ष के राजस्व व्यय के आकड़ों पर नजर डाली जाये और यह सामने आये कि यह आंकड़ा तो लगभग एक जैसा ही है तो कुछ सवाल और शंकाएं अवश्य उभरती हैं। क्योंकि इसमें पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में केवल 800 करोड़ की बढ़ौतरी है। इतनी बढ़ौतरी तो सामान्य तौर पर कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते की किस देने में भी कम पड़ जायें। इस वस्तुस्थिति में नये खर्चे कैसे समायोजित किये जायेंगे यह प्रश्न और जिज्ञासा बनी रहेगी। बजट सरकार के विजिन के अतिरिक्त उसकी व्यवहारिकता का भी प्रमाण रहता है। अभी सरकार को बिजली और पानी की दरें बढ़ानी पड़ गयी है। अन्य सेवाओं में भी दरों में बढ़ौतरी होगी क्योंकि सरकार ने कर राजस्व में करीब पांच हजार करोड़ जुटाने का लक्ष्य तय कर रखा है। अभी कुछ आउटसोर्स कंपनियों के साथ नये सिरे से अनुबंध नहीं हुआ है और परिणाम स्वरूप हजारों लोगों को एकदम बेरोजगार होना पड़ा है। स्वास्थ्य जैसे विभाग में आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुई हैं। किन्नौर में आउटसोर्स कर्मचारीयों पिछले छः माह से वेतन नहीं मिल पाने के समाचार लगातार आ रहे हैं ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस स्थिति का पूर्व संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। संबद्ध प्रशासन इसके प्रति कितना संवेदन रहा है यह एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है क्योंकि आऊटसोर्स पर रखे गये कर्मचारियों की सभी विभागों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। क्योंकि नयी सरकार है और संयोगवश नया वित्तीय वर्ष भी साथ ही शुरू हो रहा है और यह नहीं लगता कि आऊटसोर्स कंपनियों के साथ पूर्व सरकार के समय में ही इस वित्तीय वर्ष के लिये भी अनुबंध कर लिये गये हों। ऐसे में जो बजटीय आकलन इस वित्तीय वर्ष के लिये रखे गये हैं उन्हें सामने रखते हुए सरकार के लिये गारंटीयों पर कोई व्यवहारिक कदम उठा पाना संभव नहीं लगता। विकासात्मक बजट का आंकड़ा इस वर्ष भी पिछले वर्ष जीतना है। अधिकांश विभाग बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के सहारे ही चल रहे हैं। इन योजनाओं के लिये राज्य सरकार के अपने साधन नहीं के बराबर हैं। यह योजनाएं बन्द हो जायें तो कई नये विभाग बन्द होने के कगार पर पहुंच जायेंगे।